न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 12/2019 (21/2011)

GCMS NO. : 2011/00166

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. धर्माराम पुत्र नाथूराम 2. चम्पालाल पुत्र नाथूराम जातियान–मेघवाल निवासीगण ग्यास तहसील–जैतारण जिला पाली।		1. जोगाराम पुत्र मोटाराम फौत के कायम मुकाम 1/1. श्यामलाल पुत्र जोगाराम 1/2. नौरती पुत्री जोगाराम 1/3. ममता पुत्री जोगाराम 1/4. जेठकीदेवी पत्नि जोगाराम जातियान–मेघवाल निवासीगण–ग्यास तहसील जैतारण जिला–पाली। 2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी तहसील–जैतारण। 3. शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. शाखा बलाड़ा जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 31/05/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान संख्या 01 की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व मौजा ग्यास में स्थित है जो खसरा नम्बर 52 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 51 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा की आई हुई है। जिसमें सायलान 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है व शेष 1/2 हिस्से की भूमि गैरसायलान संख्या 01 के कब्जे में है। उक्त आराजी सायलान व गैर[illegible] पुश्तैनी आराजी है। सायलान व गैरसायलान एक ही पूर्वज शिम्बूराम जी [illegible] तथा शिम्भुराम जी के छोटे भाई भानाराम जी थे। विवादित आ[illegible] पर वक्त [illegible]मेंट के समय से पूर्व ही शिम्बूराम व भानाराम जी का कब्जा व क[illegible] आराजी पर वक्त [illegible]मेंट के समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

शिम्बूराम जी के दोनों पुत्र मोटाराम व नाथूराम जी का तथा सिणगारी बेवा भानाराम जी का कब्जा व काश्त था। शिम्बूराम जी के परिवार में मोटाराम जी बड़े भाई होने से परिवार के कर्ताधर्ता व मुखिया के रूप में थे, जो संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया की हैसियत से सम्पूर्ण परिवार को चलाते थे, छोटे भाई नाथूराम जी भी मोटाराम जी के शामिल ही रह रहे थे। वक्त सेटलमेंट के समय खसरा नम्बर 52, 51 के 1/2 हिस्से की भूमि अकेले मोटाराम जी के नाम दर्ज हो गई है। व खसरा नम्बर 70 की सम्पूर्ण जमीन ही मोटाराम जी व नाथूराम जी दोनों के नाम दर्ज हुई थी। सिणगारी के कोई जायंदा संतान नही थी सिणगारी के फौत होने पर फौतेदगी म्युटेशन भरा गया, जिसमें सायलान व गैरसायल संख्या 01 दोनों ही सिणगारी के विधिक उत्तराधिकारी होने से आराजी उनके नाम म्युटेशन संख्या 27 भरा गया जो सही है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 70 की आराजी भी सायलान के हिस्से में 1/2 हिस्सा व गैरसायलान के हिस्से में 1/2 हिस्सा दर्ज है जो सही है। खसरा नम्बर 52 व खसरा नम्बर 51 मौजा ग्यास के 1/2 हिस्से की भूमि पर वक्त सेटलमेंट के समय से ही मोटाराम जी व नाथूराम जी दोनों भाईयों का कब्जा व काश्त था, नाथूराम जी का स्वर्गवास लगभग 25 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, उस समय सायल संख्या 01 करीब पांच वर्ष का था तथा सायल संख्या 02 करीब ढाई वर्ष का था सायलान दोनों ही अपने बड़े पिता जी मोटाराम जी के शामिल ही रह रहे थे। बड़े होने पर सायलान व गैरासायल संख्या 01 संयुक्त व शामलाति रूप से ही इस आराजी पर काबिज होकर के काश्त कर रहे थे, बड़े होने पर सायलान व गैरसायल संख्या 01 संयुक्त व शामलाति रूप से ही इस आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे, मोटाराम जी के फौत होने पर उक्त आराजी जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 36 के तहत गैरसायल संख्या 01 व उसके भाई नारायण के नाम दर्ज हो गई थी। नारायण स्वयं निसंतान फौत हो गया, जिस पर उक्त आराजी म्युटेशन संख्या 59 के जरिये अकेले गैरसायल संख्या 01 के नाम दर्ज हो गई। उक्त आराजी मोटाराम जी के बतौर उत्तराधिकारी के रूप में केवल राजस्व रेकर्ड में गैरसायल संख्या 01 के नाम दर्ज हुई है। वास्तविकता में मौके पर सायलान भी 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार सायलान है इसके सबूत के रूप में गैरसायल संख्या 01 स्वयं ने माह बद बारस संवत 2024 को परिवार की बहीं में भी एक लिखत करके दिया था "कि इस भूमि में 1/2 हिस्सा मेरा है, व 1/2 हिस्से के खातेदार धर्मा, चम्पालाल पिसरान नाथूराम रहेगें।" सायलान के पिता जी नाथू जी का कब्जा व काश्त संवत 2012-13 से दर्ज है। मौके पर 1/2 हिस्से की भूमि पर बतौर मालिक व हक अधिकार के सायलान का कब्जा काश्त है। विवादित आराजी सायलान व गैरसायलान के बीच मौके पर अलग अलग बंटी हुई है। लेकिन सम्पूर्ण आराजी का अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नही हुआ है व राजस्व रेकर्ड में आराजी गैरसायल संख्या 01 अकेले के नाम दर्ज होने से उसकी नियत खराब हो गई है तथा [illegible] करवाने बाबत् सायलान का नाम दर्ज करवाने बाबत् पूर्व में मंजूरी दे[illegible] रहा, लेकिन प्रशासन गांव संग अभियान बलाड़ा 23.12.2010 को बंटवाड़ा करवाने [illegible] सायलान का नाम उनके हक हिस्से माफिक दर्ज करवाने से इन्कार [illegible] सायलान आराजी का बंटवाड़ा बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मिट्स एण्ड बाऊण्डस के करवाने के अधिकारी है। यदि गैरसायल संख्या 1 ने सायलान को जबरदस्ती इस आराजी से बेदखल कर दिया तो सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं हो सकेगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियो में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रा.पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बखुबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र मय शपथ पर व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाााा बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी की जावे कि विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की भूमि पर सायलान काबिज होकर काश्त करें या करावें एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करें या करावें तो उसमें गैरसायलान स्वयं, उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार व परिवार के सदस्य किसी प्रकार से कोई दखल व दस्तंदाजी न तो करें न ही करावें ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को वाद के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें तथा न ही गैरसायलान इस आराजी को जरिये रहन, बेचान, हस्तांतरण के किसी अन्य को बेचान, बक्शीश, वसीयत, रहन आदि ही करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 2 को बाद सम्मन सूचना उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 की ओर से जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया कि सरहद मौजा ग्यास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित खसरा नम्बर 52, 70, 51 की कृषि भूमि आई हुई है उक्त भूमि मे सायलान व गैरसायलान के सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अर्थात पैतृक पुश्तैनी होकर सायलान का 1/2 हिस्सा होने का कथन गलत व झुठे है। जबकि सही तथ्य यह है कि सरहद मौजा ग्यास मे स्थित खसरा नम्बर 51 रकबा 11-06 बीघा भूमि का एक मात्र खातेदार एवं कब्जा काश्त गैरसायल संख्या 1 का है व खसरा नम्बर 52 रकबा 20-03 बीघा भूमि में सायलान का 1/4 हिस्सा व गैरसायल संख्या 1 का 3/4 हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 70 रकबा 4 बीघा में सायलान का 1/2 हिस्सा व गैरसायलान संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते है जो गैरसायल संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड से साबित है। प्रार्थना पद के पद संख्या 2 में दर्ज वंशावली अपूर्ण है। उक्त कृषि भूमि में वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से शिम्भूराम व भानाराम का कब्जा काश्त होने के जो कथन किये है, गलत व झूठे मनमाने है। वक्त सेटलमेन्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में शिम्भूराम जी के पुत्र मोटाराम व नाथूराम का कबजा काश्त होने का कथन पूर्णतया गलत है। शिम्भूराम जी के पुत्र मोटाराम व नाथूराम संयुक्त के सामिल रहने के कथन व मोटाराम जो परिवार का कर्ता खानदान व मुख्या होने के कथन भी गलत अंकित किये है। वक्त सेटलमेन्ट के समय खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नम्बर 51 में एक मात्र खातेदार काश्तकार गैरसायल संख्या 1 के पिता मोटा उर्फ मोरला ही खातेदार काश्तकार गैरसायल संख्या 1 के पिता मोटा उर्फ मोरला ही खातेदार काश्तकार थे। इसी खसरा नम्बर 52 की कृषि भूमि में 1/2 हिस्से में खातेदार काश्तकार थे जो गैरसायल संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2030 से स्पष्ट है। खसरा नम्बर 51 व 52 की कृषि भूमि के किसी भी भू-भाग पर न तो सेटलमेन्ट के समय व न ही सेटलमेन्ट के बाद आजीवन आज दिन तक कभी भी नाथूराम व उसके वारिसान सायलान का कब्जा काश्त रहा। खसरा नम्बर 52 रकबा 20-03 बीघा के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार सिंगारी थी जिसके नाम की खतौनी बन्दोबस्त में भी 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिनकी मृत्यु होने पर जरिये म्युटेशन संख्या 27 के उसकी कृषि भूमि के 1/4 हिस्से में सायलान का नाम दर्ज हुआ व 1/4 हिस्से में गैरसायल संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ जो सही है। प्रार्थना-पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 11-06 बीघा भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार गैरसायल संख्या 1 पिता था तथा खसरा नम्बर 52 रकबा 20-03 बीघा में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार गैरसायल संख्या 1 का पिता मोटा के नाम खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 में दर्ज है जिससे यह साबित है कि खसरा नम्बर 51 व 52 में वकत सेटलमेन्ट के समय से ही उक्त भूमि में नाथूराम का कब्जा काश्त होने के कथन पूर्णतया गलत है। उक्त कृषि भूमि के किसी भू-भाग पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं रहा। सायलान द्वारा उनके पिता की मृत्यु 25 वर्ष पूर्व होना व नाबालिग होना तथा सायलान का मोटाराम जी के सामिल रहने के जो कथन किये है जो पूर्णतया गलत व झूठे व मनमाने है। क्योंकि सायलान के पिता व गैरसायलान संख्या 1 के पिता संवत् 2004 से ही अलग-अलग रहते थे वक्त बात मेरी बडी बहन गुलकी ने बतायी। प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नम्बर 51 व 52 की कृषि भूमि में जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 36 के तहत जो नाम दर्ज हुआ जो सही हुआ किसी प्रकार गैरसायल संख्या 1 के भाई नारायणलाल की मृत्यु होने पर गैरसायल संख्या1 के नाम म्युटेशन स्वीकृत हुआ जो सही हुआ क्योंकि उक्त म्युटेशन जो रेवेन्यु एजेन्सी तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत बलाडा ने स्वीकृत किया जो कब्जे काश्त व मौके की जांच कर सही स्वीकृत किये। उक्त कृषि भूमि पर सायलान का 1/2 हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त होने का कथन पूर्णतया गलत व मनमाने है। प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 4 बीघा के 1/2 हिस्से मे तथा खसरा नमबर 52 रकबा 20-03 बीघा के 1/4 हिस्से पर सायलान का कब्जा काश्त है तथा सायलान खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि के अलावा सायलान का प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के किसी भू-भाग पर कब्जा काश्त नहीं है। सायलान द्वारा इस पद मे गैरसायल संख्या 1 के लिये माह बद बारस संवत 2024 को परिवार की बही मे 1/2 हिस्से बाबत लिखित लिखने के कथन भी पूर्णतया गलत मनमाने व झूठे अंकित किये है। गैरसायल संख्या 1 ने सायलान के पक्ष मे 1/2 हिस्सा होने का कथन कभी नहीं किया तथा न ही इस प्रकार के लिखित की कोई कानूनन अहमियता है। सायलान ने 35 वर्ष पूर्व की लिखित जो प्रार्थनापत्र के साथ पेश की है वह म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है। इसी प्रकार सायलान ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि मे कब्जा काश्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बाबत् जो गिरदावरी की नकले पेश की है जिससे सायलान को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है, न ही गिरदावरी से कानूनन हक व अधिकार मिलते है न ही इससे रिकॉर्ड ऑफ राईट्स मिलते है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 51 रकबा 11-06 बीघा भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार व कब्जा काश्त गैरसायल संख्या 1 का है उनकी मृत्युपरान्त उनके वारिसान का है तो फिर सायलान उक्त भूमि के लिये बंटवाडा करवाने के अधिकारी नहीं है इसी प्रकार खसरा नमबर 52 रकबा 20-03 बीघा में सायलान का 1/4 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 1 का 3/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 70 रकबा 4 बीघा मे सायलान का 1/2 हिस्सा व गैरसायल संख्या 1 जोगाराम व उनके वारिसान का 1/2 हिस्सा है उक्त भूमि का मौके पर बंटवाडा हो रखा है इसलिए अब नये सिरे से बंटवाडा करवाने की आवश्यकता नहीं है। सायलान द्वारा दिनांक 23/12/2011 को प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प बलाडा मे बंटवाडा करने के जो कथन करान व इन्कार होने के कथन पूर्णतया गलत झूठे है। सायलान गैरसायल संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थनापत्र मे दर्ज हिस्से अनुसार खसरा नम्बर 52 व 70 की भूमि का बंटवाडा माफिक हिस्सेनुसार करवाना चाहता है तो उत्तरदाता गैरसायल सहमत है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 मे दर्ज कथन पूर्णतया गलत व झूठे है। गैरसायल द्वारा बताये हिस्से मे सायलान काश्त करे उसमे गैरसायल संख्या 1 को कोई दखल व दस्तन्दाजी नही कर रहा है। गैरसायल संख्या 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में सायलान कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मौके पर खसरा नम्बर 51 की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 52 के 3/4 हिस्से तथा खसरा नम्बर 70 के 1/2 हिस्से पर कब्जा राजस्व रेकर्ड से गैरसायल संख्या 1 का होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन सायलान के अपेक्षा गैरसायल उत्तरदाता के पक्ष में है तथा सायलान जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से गैरसायल संख्या 1 को बेदखल कर देते है तो अपूरणीय क्षति भी गैरसायल उत्तरदाता को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। असलिए सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टिया मामला व अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु सायलान की अपेक्षा गैरसायलान के पक्ष में होने से सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि सायलान/वादीगण द्वारा ग्र[illegible] नम्बर 52 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 51 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा के संबंध [illegible] बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपलब्ध ग्राम ग्यास के खसरा संख्या 51 के भू-अभिलेख यथा मिसल बन्दोबस्त संवत् 2011-2030 तथा जमाबन्दी संवत् 2018-2021, संवत् 2022-2025, संवत् 2026-2029, संवत् 2028-2031 तथा जमाबन्दी संवत् 2063-2076 व 2076-2070 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त खसरे में मोटा वल्द शिम्बू एक मात्र खातेदार दर्ज थे, तत्पश्चात् कालांतर में मोटा वल्द शिम्बू के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। उक्त खसरे से सम्बन्धित खसरा गिरदावरी संवत् 2010-2013 में भी मोटला वल्द शिभू की काश्त दर्ज है। इसी प्रकार खसरा संख्या 52 व खसरा संख्या 70 के भू-अभिलेख यथा मिसल बंदोबस्त 2011-2030 में क्रमशः मोटला वल्द शिम्बू व सीनगारी बेवा भाना (खसरा संख्या 52) तथा मोटला व नाथा पि. शिम्बू (खसरा संख्या 70) प्रविष्टियाँ दर्ज थी। तत्पश्चात् तत्कालीन खातेदारों के फौत होने पर इनके नाम दर्ज हिस्से में इनके वारिसानों के नाम की प्रविष्टियाँ दर्ज हुई। अतः पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे कि सायलान के यह कथन कि सेटलमेन्ट के समय से पूर्व से ही उनके पूर्वज शिंबुराम व भानाराम का कब्जा काश्त था। सायल द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी आराजी होने का कथन किया है जिसका गैरसायल द्वारा खंडन किया गया। गैरसायल द्वारा अपने जवाब प्रा.पत्र में सायल द्वारा किये गये कथनों का खण्डन करते हुए वादग्रस्त आराजी के उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से **प्रथम** दृष्टया प्रकरण सायल के स्थान पर गैरसायल के पक्ष में होने के कथन किया। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण/सायलान यह साबित करने में पूर्णतः विफल रहे है कि सायलान का प्रा.पत्र में वर्णन अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित प्रविष्टियों के अलावा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी ग्राम ग्यास खसरा संख्या 51, 52 व 70 में किस प्रकार उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है जबकि गैरसायल दीर्घ समय से प्रश्नगत आराजी के अभिलिखित खातेदार दर्ज है। साथ ही सायलान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में साबित होता हो। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के विरुद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला सायलान के विरुद्ध साबित हुआ है। साथ ही, गैरसायल दीर्घ समय से प्रश्नगत आराजी के अभिलिखित खातेदार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा संख्या 51 की खसरा गिरदवारी के अवलोकन से भी सुविधा के संतुलन का बिंदु सायलान के विरूद्ध साबित होता है। यदि किसी अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध, जब तक की अन्यथा साबित न कर दिया जाए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग/उपयोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण/सायलान की बजाय अप्रार्थी/गैरसायल को अधिक असुविधा होगी। सायलान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के अलावा वादग्रस्त आराजी सायलान के उपयोग/उपभोग में है। अतः यह बिन्दू भी सायलान के विरूद्ध साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू सायलान के विरूद्ध स्थापित हुए है। चुंकि गैरसायल संख्या 1 वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 51, 52 व 70 का अभिलिखित खातेदार है। सायलान/प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहे है कि यदि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो किस प्रकार से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही, यदि किसी अभिलिखत खातेदार के विरूद्ध बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण/सायल बजाय गैरसायल को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिंदु भी सायलान के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण /वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested